कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 205 राँची : 01/8/2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993-FC(Vol) दिनांक 27.10.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 46 दिनांक 05.01.2024 एवं पत्रांक 379 दिनांक 23.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र द्वारा सोलह (16) बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

उपरोक्त भारत सरकार के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् प्रतिवेदित है:–

पृच्छा	निराकरण
i. The Ministry vide its letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of Mosabeni mining lease over 189.74 ha of forest land in favour of M/s. Hindustan Copper Ltd. In this regard, the State Govt. shall submit the status of compliance of conditions stipulated in Stage-II approval dated 15.05.1998.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 15.05.1998 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ कुल 189.74 हे० वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार द्वितीय स्टेज की स्वीकृति के क्रम में निर्धारित शर्तों का अनुपालन निम्नवत् है :– **Condition No. i** Legal status of forest land shall remain unchanged अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् है।

	Condition No. ii Reclamation of the mined area will be done at the project cost under the supervision of State Forest Department. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में सम्पूर्ण खनन कार्य भूमिगत पद्धति से किया जाता है। रिक्लेमेशन कार्य खनन प्रक्रिया का निरन्तर एवं अभिन्न हिस्सा है। बिना रिक्लेमेशन किये खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 301 दिनांक 11.02.2008 (छायाप्रति संलग्न अनु०–1) संलग्न किया गया है। उक्त पत्र में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि रिक्लेमेशन कार्य वन विभाग की देखरेख में कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि रिक्लेमेशन किए बिना आगे खनन कार्य किया ही नहीं जा सकता। इसी क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि भूमिगत खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरों द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के आलोक में किया जा रहा है। **Condition No. iii** Free fuel wood will be supplied to the staff and labourers working at the site at project cost. अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को रियायती दर पर बिजली एवं इंधन गैस उपलब्ध कराया गया है। **Condition No. iv** Penal compensatory afforestation over 94.98 ha. of degraded forest land shall be raised. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हेक्टर क्षेत्र में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/– (पन्द्रह लाख उन्नीस हजार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–2) **Condition No. v** This permission under FC Act 1980 shall be for 20 years coterminous with lease under MMDR Act. अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में सुरदा खनन पट्टा की लीज अवधि 31.03.2020 तक प्रदान की गई थी। पुनः दिनांक 06.01.2022 को झारखण्ड सरकार खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा लीज अवधि का विस्तार 20 वर्षों अर्थात 01.04.2020 से 31.03.2040 तक किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–3)

		Condition No. vi Demarcation of diverted forest land will be done on the ground at the project cost using 4 ft. height concrete pillars having serial No. bearing and distance from pillar to pillar. अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि का सीमांकन 4' कंक्रीट पिलरों से किया गया है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित किये गये पिलरों की विस्तृत विवरणी संलग्न कर समर्पित की गई है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–4) **Condition No. vii** The user agency will bear the cost of fencing, protection and regeneration of safety zone area and also the cost of afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest area elsewhere. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुरक्षा पट्टी घेरान सुरक्षा पट्टी के पुर्नजनन तथा सुरक्षा पट्टी के डेढ़गुना अवकृष्ट वनों में वन रोपण कार्य हेतु कुल 468629/– (चार लाख अड़सठ हजार छः सौ उनतीस रूपया) मात्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसे सूद सहित राशि 476862/– (चार लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बासठ रूपया) मात्र कैम्पा खाता संख्या CA-1587 में स्थान्तरित कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न अनु०– 5) **Condition No. viii** Any other condition that the state government may impose from time to time in the interest of afforestation and protection of forests. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धत्ता समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–6) **Condition no. ix.** Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वनभूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के लिये निम्नवत किया जा रहा है:– सतही के लिए– 31.07 हे० भूमिगत के लिए– 52.44 हे० सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में कुल अपयोजित वनभूमि– 83.51 हे०
ii.	The component wise breakup of proposed forest land has not been correctly mentioned in online Part-I and same needs submission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव मात्र भूमिगत खनन से संबंधित है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–7)

iii. Against the detail of past proposals in the Online Part-1, the user agency has mentioned the details as Nill, whereas the present proposal is linked to a mining lease wherein approval for diversion of forest land has been accorded by the Ministry. The same needs correction.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/93FC(I) दिनांक 11.04.1997 (छायाप्रति संलग्न अनु०–8) द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा हेतु 203.62 हे० वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी। पुनः भारत सरकार के पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०–9) द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा हेतु 47.49 सतही एवं 142.25 हे० भूमिगत कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टे के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993FC(P) दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–10) द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–11) द्वारा मुसाबनी खनन क्षेत्र की विवरणी में यह स्पष्ट किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में 31.07 हे० सतही एवं 52.44 हे० भूमिगत कुल 83.51 हे० वनभूमि सम्मिलित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 613 दिनांक 25.02.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०–12) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल 388.688 हे० है जिसमें से 149.03 हे० वनभूमि सम्मिलित है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर प्रतिवेदनानुसार सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित 149.03 हे० वनभूमि में से 83.51 हे० वनभूमि पूर्व में ही अपयोजित किया गया है तथा अवशेष (149.03– 83.51) = 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु विचाराधीन है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त के आलोक में ऑन लाईन आवेदन में पिछले प्रस्तावों की विवरण के तहत् जानकारियाँ निम्नवत् संशोधित की जा सकती है। तत्संबंधी वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–13)

List of proposal submitted in past

S. no	Proposal Status	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion (Ha.)	Area Diverted (Ha.)	Date of in Principle Approval	Date of Final Approval
1	Approved	FP/JH/MIN/359/1993	F.No. 8-64/1993-FC	203.62	189.74	11.04.1997	15.05.1998

<table>
<tr>
<td>iv.</td>
<td>The KML file for earlier diverted 189.74 ha of forest land along with KML file of Compensatory Afforestation land shall be furnished.</td>
<td>
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि कम्पनी के पक्ष में धारित 6923.00 हे० में से पूर्व में 2430 हे० एवं 4104.32 हे० भूमि सरकार को वापस कर दी गई है जो कि अनुलग्नक– 14 में द्रष्टव्य है। वर्तमान में प्रयोक्ता अभिकरण के पास सुरदा खनन पट्टा के नाम पर 388.68 क्षेत्र रह गया है। जिसका नवीकरण किया गया है।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हे० अवकृष्ट वनभूमि में दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/– (पन्द्रह लाख उन्नीस हतार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–2)
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पहले से हस्तान्तरित 189.74 हे० वनभूमि का KML File (पेन ड्राईव में) उपलब्ध कराया गया है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>v.</td>
<td>As reported the proposed project is within an area of 388.68 ha, comprising of 149.03 ha of forest land. Out of 149.03 ha of forest land, already diverted forest land is 83.51 ha & a balance of 65.52 ha is under consideration for diversion. However, the Ministry vide letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of 189.74 ha of forest land. This needs clarification.</td>
<td>
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०–9) द्वारा मुसाबनी खनन परियोजना हेतु 47.49 हे० सतही एवं 142.25 हे0 कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1993FC दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–10) के पृच्छा के आलोक में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०– 11) द्वारा 189.74 हे० वन भूमि का उपयोगवार विवरणी समर्पित की गई है जिसमें सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र सम्मिलित है जो निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र० सं०</th><th rowspan="2">खनन क्षेत्र का नाम</th><th colspan="2">क्षेत्रफल</th><th rowspan="2">कुल वनभूमि हे०</th></tr>
<tr><th>सतही हे०</th><th>भूमिगत हे०</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मुसाबनी</td><td>16.42</td><td>57.39</td><td>73.81</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>धोबनी</td><td>–</td><td>30.08</td><td>30.08</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पाथरगोड़ा</td><td>–</td><td>2.34</td><td>2.34</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सुरदा</td><td>31.07</td><td>52.44</td><td>83.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>47.49</td><td>142.25</td><td>189.74</td></tr>
</table>
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में (वर्ष 1998) में अपयोजित वनभूमि (189.74 हे०) में से 83.51 हे० ही सुरदा लीज क्षेत्र का भाग है। चुँकि सुरदा लीज क्षेत्र का कुल रकवा 388.68 हे० है, जिसमें कुल 149.03 हे० वनभूमि है, अतएव यह प्रस्ताव अवशेष वनभूमि (149.03–83.51) अर्थात् 65.52 हे० के अपयोजन हेतु समर्पित किया गया है।
</td>
</tr>
</table>

vi. From the information submitted by the state it is apparent that the Surda mine is a part of a bigger mining lease in the name of Mosabeni, wherein approval under FCA, 1980 has been accorded by the Ministry for renewal of permission for 189.74 ha of forest land vide letter dated 15.05.1998. Whereas, the present proposal has been submitted as an expansion of Surda mine only. A detailed justification in this regard shall be submitted along with a kml file for the entire Mosabeni mine.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि मुसाबनी लीज क्षेत्र जिसके अन्तर्गत मुसाबनी, धोबनी, पाथरगोड़ा एवं सुरदा खदान शामिल है, का पट्टा की स्वीकृति दिनांक 16.06.1939 से 15.06.1984 की अवधि के लिए कुल 6923 हे० क्षेत्र में प्रदान किया गया था। पुनः दिनांक 16.06.1984 से 15.06.2004 तक की अवधि के लिए मुसाबनी खनन पट्टा का नवीकरण किया गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित 6923 हे० में से 2430 हे० खनन पट्टा क्षेत्र राज्य सरकार को वापस कर दिया गया जिसका अनुमोदन खान मंत्रालय के पत्रांक 4021/M दिनांक 05.08.1994 द्वारा किया गया। पुनः 2001 में मुसाबनी खनन पट्टा का 4104.32 हे० पट्टा क्षेत्र जिसमें मुसाबनी, धोबनी एवं पाथरगोड़ा खनन क्षेत्र सम्मिलित था, को वापस कर दिया गया जिसे राज्य गजट संख्या–3 दिनांक 22.06.2004 द्वारा प्रकाशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–14) परिणामस्वरूप मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र में (6923–2430+4104.32) = 388.68 हे० अवशेष क्षेत्र सुरदा खनन पट्टा के अन्तर्गत रह गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा जो कि मुसाबनी खनन पट्टा का पूर्ववर्त्ती भाग है, में अवस्थित 388.68 हे० क्षेत्र का लीज दिनांक 16.06.2004 से 15.06.2014 की अवधि तक नवीकरण की स्वीकृति प्रदान किया गया था। पुनः MMDR संशोधित अधिनियम 2015 के आलोक में 31.03.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०–15) तक पट्टा अवधि का विस्तार किया गया है, इसके पश्चात् पुनः MMGC नियम 2015 के आलोक में 20 वर्षो तक अर्थात दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2040 (छायाप्रति संलग्न अनु०–3) तक खनन पट्टा अवधि का विस्तार किया गया। वर्तमान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि KML File वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ भाग 1 के एम 2 (VII) में पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। CD मे संलग्न है। (अनु०–16)
vii. The State Govt shall ensure that the area details in the approved mining plan are commensurate with the proposal and a comparative analysis of the same shall be submitted.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारतीय खान ब्युरो द्वारा स्वीकृति खनन योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या M2(iii) तथा पार्ट–I के Additional Information details के तहत् संलग्न की गई है। पुनः CD में संलग्न है। (अनु०–16)

<table>
<tr>
<td>viii. The details of total lease area and total forest land involved in the entire lease area shall be intimated. Details of forest land wherein the approval for the diversion of forest land has already been obtained and the details of balance forest land, if any, shall also be intimated.</td>
<td>इस पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :–

<u>सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का विवरण</u>
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रकार</th><th>क्षेत्रफल हे० में</th><th>अभियुक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विवर्तित वनभूमि</td><td>83.51</td><td>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC, दिनांक 15.05.1998 द्वारा वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई। (छायाप्रति संलग्न अनु०–9)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अविवर्तित वनभूमि</td><td>65.52</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कुल वनभूमि (1+2)</td><td>149.03</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>गैर वनभूमि</td><td>239.65</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल</td><td>388.68</td><td>खनन पट्टा का नवीकरण की अवधि 31.03.2040 तक विस्तारित की गई है।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ix. The State Government shall submit the details of the validity of the entire mining lease along with detailed chronology of approvals of the mining lease.</td>
<td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के सूचनानुसार कंडिका (vi) में खनन लीज स्वीकृति / नवीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।</td>
</tr>
<tr>
<td>x. The justification for not including the the 65.52 ha forest area in the earlier diversion proposal when the area was actually apart of the same mining lease shall be submitted.</td>
<td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि मुसाबनी खनन पट्टा अन्तर्गत पड़ने वाली वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव उनके द्वारा वर्ष 1995–96 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रथम स्टेज एवं वर्ष 1998 में वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत् क्षेत्र को न्यूनतम रखा गया ताकि मंत्रालय द्वारा जारी तत्कालीन प्रावधानों और दिशा–निर्देशों के अनुसार कुशल खनन कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान में बाजार की मांग एवं आपूर्ति के परिपेक्ष में एवं कम्पनी के विस्तार की योजना के हिस्से के रूप में उत्पादन वृद्धि की परिकल्पना की गई है। उक्त के आलोक में सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित अतिरिक्त अवशेष 65.52 हे० वनभूमि का अपयोजन आवश्यक हो गया है।</td>
</tr>
</table>

xi.	The user agency in online Part-I has mentioned that 149.03 ha forest land is located within the Mine lease. However, as per the DSS analysis, of the KML file submitted the total 163.23 ha forest land is located within the Mine lease boundary. The same needs to revisited by the state.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा में सम्मिलित वनभूमि का कुल क्षेत्रफल 149.03 हे० है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल के प्रतिवेदनानुसार प्रमण्डलीय कार्यालय अभिलेखों से भी उक्त क्षेत्रफल संपुष्ट हो रहा है। वन सीमाओं के डीजीटाइजेशन इत्यादि के कारण DSS विश्लेषण में वनभूमि के क्षेत्रफल में विसंगति पाया जाना संभव है।
xii.	The user agency in online Part-I has mentioned that the Non-Forest land involved in the present proposal as Nil whereas superimposing the Mining lease boundary on the DSS portal revealed that the present proposal has the involvement of Non-Forest area. This needs clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि पूरे खनन पट्टा क्षेत्र में गैर वनभूमि भी शामिल है। वर्तमान अपयोजन प्रस्ताव 65.52 हे० क्षेत्र से संबंधित है जिसमें केवल वनभूमि सम्मिलित है। सुरदा खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है जिसमें वनभूमि 149.03 हे० एवं गैर वनभूमि 239.65 हे० सम्मिलित है। विदित् हो कि खनन पट्टा भूमिगत खनन के लिये है एवं सतह का क्षेत्रफल केवल 31.07 हे० जिसका वर्ष 1998 में द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सतही भूमि का उपयोग प्रयोक्त अभिकरण द्वारा किया जा रहा है।
xiii.	Satellite imagery shows the presence of settlements, Road and Agriculture fields within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में ही यह उल्लेखित है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भूमिगत खनन के लिये है जिसमें कोई सतही भागीदारी नहीं है। सेटेलाईट ईमेज में परिलक्षित सड़क एवं कृषि क्षेत्र का कारण संभवतः वन अधिकार अधिनियम के तहत् निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि के उक्त खण्ड पर भूमि की सतह के कुछ टुकड़े वैध धारकों के कब्जे में हो सकते है।
xiv.	The CF, Jamshedpur in its site inspection report has reported that the area is part of Singhbhum Elephant Reserve and also Schedule-I species have been reported in the area. Therefore, the comments of CWLW, Jharkhand needs to be furnished. Further, comments may also be furnished on the adequacy of mitigation measures like Site Specific Wildlife Management Plan or Comprehensive Integrated Wildlife Management proposed for the area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा केन्दाडीह खनन पट्टा एवं राखा खनन पट्टा परियोजनाओं के लिये एकीकृत स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी संरक्षण योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक 24.01.2022 (छायाप्रति संलग्न अनु०–17) द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 646 दिनांक 23.05.2023 (छायाप्रति संलग्न अनु०– 18) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चुँकि वर्तमान वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव जो खनन लीज सुरदा 388.68 हे० के अन्तर्गत ही है, अतः इसके विरूद्ध अलग से वन्य प्राणी संरक्षण योजना का सूत्रण आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है।

xv. Cost benefit Ratio has been estimated as 1:9644.77 which is exorbitantly high. The analysis may be revisited by the user agency by applying appropriate economic tools to accurately estimate the various parameters and detailed analysis thereof may be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022	इस पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1:314.18 के अनुपात में गणना कर संशोधित लागत–लाभ विश्लेषण समर्पित किया गया है। (अनु०– 19)
xvi. Details of mineral evacuation plan, transportation and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि खनिजों की निकासी एवं परिवहन हेतु विस्तृत योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या एम-7.1(ii) पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। पुनः CD में संलग्न (अनु०–16) है ।

उपरोक्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन तीन (3) प्रति सानुलग्नक छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

01/3/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

288

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर ।

(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ–वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0–सोनारी, जमशेदपुर–831011)
दूरभाष संख्या– 0657–2222995, मेल– rccf-singhbhum.in

पत्रांक 379 / जमशेदपुर –11, दिनांक 23.02.2024

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

आवती सं० 550
दिनांक 27.02.2024

विषय :– मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग :–
1. भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 27.10.2023
2. भवदीय पत्रांक 98 दिनांक 01.02.2024
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 265 दिनांक 20.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रसंगाधीन पत्र – 2 के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक मामले के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन ,एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रसंगाधीन पत्र – 1 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या – (iv) यथा; "The KML file earlier diverted 189.74 ha. of forest land alongwith KML file of compensatory afforestation land shall be furnished" के निराकरण / अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वांछित KML file (पेन ड्राईव में) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्र – 3 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र – 2 द्वारा प्राप्त उपरोक्त वनभूमि का KML file (पेन ड्राईव में) 4(चार) अदद में अत्रसह संलग्न आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

23/2/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर

23/02/24

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

(वन भवन, सोनारी, जमशेदपुर–831011)
दूरभाष संख्या एवं फैक्स – 0657–2223430, ई–मेल – cf-jamshedpur@gov.in

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

287

पत्रांक : E-18/2021– 265 दिनांक : 20.02.2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।

20/2/24

विषय :– मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अंतर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 98 दिनांक 01.02.2024
2. आपका ज्ञापांक 241 दिनांक 06.02.2024
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर का पत्रांक 444 दिनांक 19.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993-FC(Vol) दिनांक 27.10.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या (iv) यथा "The KML file for earlier diverted 189.74 ha of forest land along with KML file of compensatory afforestation land shall be furnished" के अनुपालन प्रतिवेदन के क्रम में KML file पेन ड्राइव में समर्पित किया गया है, जिसे 06 (छः) प्रतियों में संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0 : यथोक्त।

आपका विश्वासी,
20/02/2024
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
संख्या 850
तिथि 23.02.24
सिंहभूम रीजन जमशेदपुर

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर
(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)
दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

286

पत्रांकः 444 /जमशेदपुर

दिनांकः 19-02-2024

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

विषय :– मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची का पत्रांक 98 दिनांक 01.02.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 241 दिनांक 06.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993-FC(Vol) दिनांक 27.10.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या (iv) यथा "The KML file for earlier diverted 189.74 ha of forest land along with KML file of compensatory Afforestation land shall be furnished." के अनुपालन प्रतिवेदन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML file पेन ड्राइव में समर्पित किया गया है, जिसे 07 (सात) प्रतियों में संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

वन संरक्षक
पत्रांक 538
दिनांक 20.02.2024
प्रादेशिक अं., जमशेदपुर

आपका विश्वासी

19/02/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

285

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
पोस्ट: मऊभंडार- 832103
जिला: ईस्ट सिंहभूम (झारखंड)

CIN : L27201WB1967GOI028825

HINDUSTAN COPPER LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
INDIAN COPPER COMPLEX
P.O. MOUBHANDAR - 832103
Dist. East Singhbhum (Jharkhand)
Ph : (06585) 225878 (Unit Head)
e-mail: shyam_ss@hindustancopper.com
Website : www.hindustancopper.com

Ref: HCL/ICC/GM/Surda/2024 **Date: 15.02.2024**

The Divisional Forest Officer,
Jamshedpur Division
East Singhbhum District
Jamshedpur, Jharkhand

Madam,

Sub: Proposal for diversion of remaining forest land of 65.52 ha of Surda Mining Lease of Hindustan Copper Ltd- regarding

Ref: Your letter no. 340 /Jamshedpur dated 07.02.2024.

With due regards, it is for kind information that the submission of HCL in respect of the query raised at point no. (iv) vide letter no. 8-64/1993-FC (vol) dated 27.10.2023 of MoEF & CC, GoI & subsequently endorsed in above referred letter i.e. " ***submission of the KML file for earlier diverted 189.74 Ha of forest land along with KML file of compensatory afforestation land***", is as follows:

The screenshot of polygons for earlier diverted 189.74 Ha of forest land seen in 'Google Earth' has been submitted in PARIVESH 1.0 as an attachment on 15.02.2024 as the screen for reply of EDS in PARIVESH 1.0 does not facilitate for uploading KML file as an attachment, which is evident from the reply of NIC on 14.02.2024 in 'Resolved remarks' column in 'Complaint Resolution Details' against the complaint of UA on 13.02.2024 in PARIVESH Complaint Management System (Snapshot of the same is enclosed herewith)

In view of above, for compliance of above said query, **pen drives containing the KML file of earlier diverted 189.74 ha of forest land is enclosed along with this letter.**

Further, in respect of **KML file of compensatory afforestation land**, it is submitted that Hindustan Copper Limited (UA) deposited a sum of Rs. 15,19,680/- on 11.04.1998 towards Penal Compensatory Afforestation (PCA) over degraded forest land as per the provision of Stage II (Final) approval granted vide letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 and as such, no compensatory afforestation land was involved in this proposal.

In view of above, it is kindly requested to recommend the same as deemed fit.

Thanking you,

Yours faithfully,

(S.S.Sethi)
General Manager & Unit Head

Encl:

1.Pen drives containing the KML file for earlier diverted 189.74 Ha of forest land (08 set)
2. Snapshot of 'Complaint Resolution Details' in 'PARIVESH Complaint Management System'

एस० एस० सेठी
महाप्रबन्धक
एवं
इकाई प्रमुख
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
इन्डियन कॉपर कॉमप्लेक्स
डाक-मऊभण्डार-832103
झारखण्ड

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

2.Snapshort of Complaint Resolution Details

esh.nic.in/complain/ProvidedMoreInfo?complaint_id=TIC-24003820&complaint_status=RESOLVED&replyAllowed=yes&publicAccess=No&access=...

ct State | complaint dashboard | ChatGPT | Bard | show pass | ECTrack | FC Track | add dept | update ekyc | Show KYC

PARIVESH: Complaint Management System

COMPLAINT DETAILS

nplaint ID and Proposal #	Complaint Details	Complaint Issuer Details	Feedback	Uploaded Screenshot
Complaint ID: TIC-24003820 Proposal No: 44787 Date: 13-02-2024 05:53 PM	**Issue Type:** EDS reply **Clearance Type:** Forest Clearances	**Mobile No & Email:** 8210071178 amit_nd@hindustancopper.com **State & User Type:** JHARKHAND PP/User Agency	in respect to the proposal no: FP/JH/MIN/44787/2020, EDS/Query has been raised for enclosing KML file (Copy of the query raised by DFO is enclosed). However, no such facility is available for uploading KML file, therefore kindly arrange to facilitate the uploading of KML file corresponding to the EDS reply.	View Document

Complaint Resolution Details

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
Complaint ID: TIC-24003820 **Date:** 13-02-2024 05:53 PM	14-02-2024 12:57 PM	There is no option available in PART-1 Additional details to attach KML file at the time of EDS	View Document	Others

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Query Details

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर ।
(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ–वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0–सोनारी, जमशेदपुर–831011)
दूरभाष संख्या– 0657–2222995, मेल– rccf-singhbhum.in

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक 46 / जमशेदपुर –11, दिनांक 05-01-2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषय :– Proposal for diversion of 65.52 ha of forest land for expansion of Surda Copper Underground Mine project in favour of M/s Hindustan Copper Limited in Singhbhum District, Jharkhand State (Online No. 8-64/1933-FC (Vol.) Regarding.

प्रसंग :– 1. भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1933-FC (Vol.) दिनांक 27.10.2023
2. भवदीय पत्रांक 1092 दिनांक 01.11.2023
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 1637 दिनांक 28.12.2023

128
10/1/2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर सूचित करना है कि विषयक मामले के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन ,एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रसंगाधीन पत्र ,– 1 द्वारा पृच्छित 16 (सोलह) बिन्दुओं पर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्र – 3 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल जमशेदपुर से प्राप्त सूचनानुसार पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

पृच्छा	निराकरण
i. The Ministry vide its letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of Mosabeni mining lease over 189.74 ha of forest land in favour of M/s. Hindustan Copper Ltd. In this regard, the State Govt. shall submit the status of compliance of conditions stipulated in Stage-II approval dated 15.05.1998.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993-FC (Vol.) दिनांक 15.05.1998 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ कुल 189.74 हे० वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार द्वितीय स्टेज की स्वीकृति के क्रम में निर्धारित शर्तों का अनुपालन निम्नवत् है :– **Condition No. i** Legal status of forest land shall remain unchanged अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् है। **Condition No. ii** Reclamation of the mined area will be done at the project cost under the supervision of State Forest Department.

अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में सम्पूर्ण खनन कार्य भूमिगत पद्धति से किया जाता है। रिक्लेमेशन कार्य खनन प्रक्रिया का निरन्तर एवं अभिन्न हिस्सा है। बिना रिक्लेमेशन किये खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 301 दिनांक 11.02.2008 (छायाप्रति संलग्न अनु०–1) संलग्न किया गया है। उक्त पत्र में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि रिक्लेमेशन कार्य वन विभाग की देखरेख में कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि रिक्लेमेशन किए बिना आगे खनन कार्य किया ही नहीं जा सकता। इसी क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि भूमिगत खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरों द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के आलोक में किया जा रहा है।

Condition No. iii

Free fuel wood will be supplied to the staff and labourers working at the site at project cost.

अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को रियायती दर पर बिजली एवं इंधन गैस उपलब्ध कराया गया है।

Condition No. iv

Penal compensatory afforestation over 94.98 ha. of degraded forest land shall be raised.

अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हेक्टर क्षेत्र में दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/– (पन्द्रह लाख उन्नीस हजार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–2)

Condition No. v

This permission under FC Act 1980 shall be for 20 years coterminous with lease under MMDR Act.

अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आलोक में सुरदा खनन पट्टा की लीज अवधि 31.03.2020 तक प्रदान की गई थी। पुनः दिनांक 06.01.2022 को झारखण्ड सरकार खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा लीज अवधि का विस्तार 20 वर्षों अर्थात 01.04.2020 से 31.03.2040 तक किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–3)

Condition No. vi

Demarcation of diverted forest land will be done on the ground at the project cost using 4 ft. height concrete pillars having serial No. bearing and distance from pillar to pillar.

अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि का सीमांकन 4' कंक्रीट पिलरों से किया गया है। इस संबंध में

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित किये गये पिलरों की विस्तृत विवरणी संलग्न कर समर्पित की गई है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–4) **Condition No. vii** The user agency will bear the cost of fencing, protection and regeneration of safety zone area and also the cost of afforestation over one and a half times of safety zone area in degraded forest area elsewhere. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुरक्षा पट्टी घेरान सुरक्षा पट्टी के पुर्नजनन तथा सुरक्षा पट्टी के डेढ़गुना अवकृष्ट वनों में वन रोपण कार्य हेतु कुल 468629/– (चार लाख अड़सठ हजार छः सौ उनतीस रूपया) मात्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसे सूद सहित राशि 476862/– (चार लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बासठ रूपया) मात्र कैम्पा खाता संख्या CA-1587 में स्थान्तरित कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न अनु०– 5) **Condition No. viii** Any other condition that the state government may impose from time to time in the interest of afforestation and protection of forests. अनुपालन :– इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धत्ता समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–6) **Condition no. ix.** Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. अनुपालन :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वनभूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के लिये निम्नवत किया जा रहा है:– सतही के लिए– 31.07 हे० भूमिगत के लिए– 52.44 हे० सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में कुल अपयोजित वनभूमि– 83.51 हे०
ii. The component wise breakup of proposed forest land has not been correctly mentioned in online Part-I and same needs submission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव मात्र भूमिगत खनन से संबंधित है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–7)

iii. Against the detail of past proposals in the Online Part-1, the user agency has mentioned the details as Nill, whereas the present proposal is linked to a mining lease wherein approval for diversion of forest land has been accorded by the Ministry. The same needs correction.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/93FC(I) दिनांक 11.04.1997 (छायाप्रति संलग्न अनु०–8) द्वारा मुसाबनी खनन पट्‌टा हेतु 203.62 हे० वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी। पुनः भारत सरकार के पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०–9) द्वारा मुसाबनी खनन पट्‌टा हेतु 47.49 सतही एवं 142.25 हे० भूमिगत कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्‌टे के विरूद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-64/1993FC(P) दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–10) द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–11) द्वारा मुसाबनी खनन क्षेत्र की विवरणी में यह स्पष्ट किया गया है कि सुरदा खनन पट्‌टा क्षेत्र में 31.07 हे० सतही एवं 52.44 हे० भूमिगत कुल 83.51 हे० वनभूमि सम्मिलित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 613 दिनांक 25.02.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०–12) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुरदा खनन पट्‌टा का कुल क्षेत्रफल 388.688 हे० है जिसमें से 149.03 हे० वनभूमि सम्मिलित है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर प्रतिवेदनानुसार सुरदा खनन पट्‌टा क्षेत्र में अवस्थित 149.03 हे० वनभूमि में से 83.51 हे० वनभूमि पूर्व में ही अपयोजित किया गया है तथा अवशेष (149.03–83.51) = 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु विचाराधीन है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त के आलोक में ऑन लाईन आवेदन में पिछले प्रस्तावों की विवरण के तहत् जानकारियाँ निम्नवत् संशोधित की जा सकती है। तत्संबंधी वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–13)

List of proposal submitted in past

S. no	Proposal Status	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion (Ha.)	Area Diverted (Ha.)	Date of in Principle Approval	Date of Final Approval
1	Approved	FP/JH/MIN/ 359/1993	F.No. 8-64/1993-FC	203.62	189.74	11.04.1997	15.05.1998

iv. The KML file for earlier diverted 189.74 ha of forest land along with KML file of Compensatory Afforestation land shall be furnished.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि कम्पनी के पक्ष में धारित 6923.00 हे० में से पूर्व में 2430 हे० एवं 4104.32 हे० भूमि सरकार को वापस कर दी गई है जो कि अनुलग्नक– 14 में द्रष्टव्य है। वर्तमान में प्रयोक्ता अभिकरण के पास सुरदा खनन पट्‌टा के नाम पर 388.68 क्षेत्र रह गया है। जिसका नवीकरण किया गया है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 94.98 हे० अवकृष्ट वनभूमि में दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1519680/– (पन्द्रह लाख उन्नीस हतार छः सौ अस्सी रूपया) मात्र जमा किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–2)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि 1990 के दशक में KML File की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी एवं वन संरक्षण अधिनियम के तहत् अपयोजन प्रस्तावों में KML File जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः पहले से हस्तान्तरित 189.74 हे० वनभूमि का KML File उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।

v. As reported the proposed project is within an area of 388.68 ha, comprising of 149.03 ha of forest land. Out of 149.03 ha of forest land, already diverted forest land is 83.51 ha & a balance of 65.52 ha is under consideration for diversion. However, the Ministry vide letter no. 8-64/1993-FC dated 15.05.1998 has granted Stage-II approval for renewal of 189.74 ha of forest land. This needs clarification.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 (छायाप्रति संलग्न अनु०–9) द्वारा मुसाबनी खनन परियोजना हेतु 47.49 हे० सतही एवं 142.25 हे0 कुल 189.74 हेक्टर वनभूमि अपयोजन के नवीकरण की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/1993FC दिनांक 01.05.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०–10) के पृच्छा के आलोक में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 5376 दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न अनु०– 11) द्वारा 189.74 हे० वन भूमि का उपयोगवार विवरणी समर्पित की गई है जिसमें सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र सम्मिलित है जो निम्नवत् है :–

क्र० सं०	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल		कुल वनभूमि हे०
		सतही हे०	भूमिगत हे०	
1.	मुसाबनी	16.42	57.39	73.81
2.	धोबनी	–	30.08	30.08
3.	पाथरगोड़ा	–	2.34	2.34
4.	सुरदा	31.07	52.44	83.51
	कुल	**47.49**	**142.25**	**189.74**

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में (वर्ष 1998) में अपयोजित वनभूमि (189.74 हे०) में से 83.51 हे० ही सुरदा लीज क्षेत्र का भाग है। चुँकि सुरदा लीज क्षेत्र का कुल रकवा 388.68 हे० है, जिसमें कुल 149.03 हे० वनभूमि है, अतएव यह प्रस्ताव अवशेष वनभूमि (149.03–83.51) अर्थात् 65.52 हे० के अपयोजन हेतु समर्पित किया गया है।

vi. From the information submitted by the state it is apparent that the Surda mine is a part of a bigger mining lease in the name of Mosabeni, wherein approval under

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि मुसाबनी लीज क्षेत्र जिसके अन्तर्गत मुसाबनी, धोबनी, पाथरगोड़ा एवं सुरदा खदान शामिल है, का पट्टा की स्वीकृति दिनांक 16.06.1939 से 15.06.1984 की अवधि के लिए कुल 6923 हे० क्षेत्र में प्रदान किया गया था। पुनः दिनांक 16.06.1984 से 15.06.2004 तक की अवधि के लिए मुसाबनी खनन पट्टा का नवीकरण किया गया।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>FCA, 1980 has been accorded by the Ministry for renewal of permission for 189.74 ha of forest land vide letter dated 15.05.1998. Whereas, the present proposal has been submitted as an expansion of Surda mine only. A detailed justification in this regard shall be submitted along with a kml file for the entire Mosabeni mine.</td>
<td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित 6923 हे० में से 2430 हे० खनन पट्टा क्षेत्र राज्य सरकार को वापस कर दिया गया जिसका अनुमोदन खान मंत्रालय के पत्रांक 4021/M दिनांक 05.08.1994 द्वारा किया गया। पुनः 2001 में मुसाबनी खनन पट्टा का 4104.32 हे० पट्टा क्षेत्र जिसमें मुसाबनी, धोबनी एवं पाथरगोड़ा खनन क्षेत्र सम्मिलित था, को वापस कर दिया गया जिसे राज्य गजट संख्या 3 दिनांक 22.06.2004 द्वारा प्रकाशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनु०–14) परिणामस्वरूप मुसाबनी खनन पट्टा क्षेत्र में (6923–2430+4104.32) = 388.68 हे० अवशेष क्षेत्र सुरदा खनन पट्टा के अन्तर्गत रह गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा जो कि मुसाबनी खनन पट्टा का पूर्ववर्त्ती भाग है, में अवस्थित 388.68 हे० क्षेत्र का लीज दिनांक 16.06.2004 से 15.06.2014 की अवधि तक नवीकरण की स्वीकृति प्रदान किया गया था। पुनः MMDR संशोधित अधिनियम 2015 के आलोक में 31.03.2020 (छायाप्रति संलग्न अनु०–15) तक पट्टा अवधि का विस्तार किया गया है, इसके पश्चात् पुनः MMGC नियम 2015 के आलोक में 20 वर्षों तक अर्थात दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2040 (छायाप्रति संलग्न अनु०–3) तक खनन पट्टा अवधि का विस्तार किया गया। वर्तमान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि KML File वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ भाग 1 के एम 2 (VII) में पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। CD मे संलग्न है। (अनु०–16)</td>
</tr>
<tr>
<td>vii.</td>
<td>The State Govt shall ensure that the area details in the approved mining plan are commensurate with the proposal and a comparative analysis of the same shall be submitted.</td>
<td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारतीय खान ब्युरो द्वारा स्वीकृति खनन योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या M2(iii) तथा पार्ट–I के Additional Information details के तहत् संलग्न की गई है। पुनः CD में संलग्न है। (अनु०–16)</td>
</tr>
<tr>
<td>viii.</td>
<td>The details of total lease area and total forest land involved in the entire lease area shall be intimated. Details of forest land wherein the approval for the diversion of forest land has already been obtained and the details of balance forest land, if any, shall also be intimated.</td>
<td>इस पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :–

सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र का विवरण
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रकार</th><th>क्षेत्रफल हे० में</th><th>अभियुक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विवर्तित वनभूमि</td><td>83.51</td><td>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-64/93FC दिनांक 15.05.1998 द्वारा वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई। (छायाप्रति संलग्न अनु०–9)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2.	अविवर्तित वनभूमि	65.52	
3.	कुल वनभूमि (1+2)	**149.03**	
4.	गैर वनभूमि	239.65	
5.	खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल	388.68	खनन पट्टा का नवीकरण की अवधि 31.03.2040 तक विस्तारित की गई है।

ix. The State Government shall submit the details of the validity of the entire mining lease along with detailed chronology of approvals of the mining lease.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के सूचनानुसार कंडिका (vi) में खनन लीज स्वीकृति/नवीकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।
x. The justification for not including the the 65.52 ha forest area in the earlier diversion proposal when the area was actually apart of the same mining lease shall be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि मुसाबनी खनन पट्टा अन्तर्गत पड़ने वाली वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव उनके द्वारा वर्ष 1995–96 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रथम स्टेज एवं वर्ष 1998 में वनभूमि अपयोजन की द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत् क्षेत्र को न्यूनतम रखा गया ताकि मंत्रालय द्वारा जारी तत्कालीन प्रावधानों और दिशा–निर्देशों के अनुसार कुशल खनन कार्य सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में बाजार की मांग एवं आपूर्ति के परिपेक्ष में एवं कम्पनी के विस्तार की योजना के हिस्से के रूप में उत्पादन वृद्धि की परिकल्पना की गई है। उक्त के आलोक में सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित अतिरिक्त अवशेष 65.52 हे० वनभूमि का अपयोजन आवश्यक हो गया है।
xi. The user agency in online Part-I has mentioned that 149.03 ha forest land is located within the Mine lease. However, as per the DSS analysis, of the KML file submitted the total 163.23 ha forest land is located within the Mine lease boundary. The same needs to revisited by the state.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा में सम्मिलित वनभूमि का कुल क्षेत्रफल 149.03 हे० है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल के प्रतिवेदनानुसार प्रमण्डलीय कार्यालय अभिलेखों से भी उक्त क्षेत्रफल संपुष्ट हो रहा है। वन सीमाओं के डीजीटाइजेशन इत्यादि के कारण DSS विश्लेषण में वनभूमि के क्षेत्रफल में विसंगति पाया जाना संभव है।
xii. The user agency in online Part-I has mentioned that the Non-Forest land involved in the present proposal as Nil whereas superimposing the Mining lease boundary on the DSS portal revealed that the present proposal has the involvement of Non-Forest area. This needs clarification.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि पूरे खनन पट्टा क्षेत्र में गैर वनभूमि भी शामिल है। वर्तमान अपयोजन प्रस्ताव 65.52 हे० क्षेत्र से संबंधित है जिसमें केवल वनभूमि सम्मिलित है। सुरदा खनन पट्टा का कुल क्षेत्रफल 388.68 हे० है जिसमें वनभूमि 149.03 हे० एवं गैर वनभूमि 239.65 हे० सम्मिलित है। विदित् हो कि खनन पट्टा भूमिगत खनन के लिये है एवं सतह का क्षेत्रफल केवल 31.07 हे० जिसका वर्ष 1998 में द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सतही भूमि का उपयोग प्रयोक्त अभिकरण द्वारा किया जा रहा है।
xiii. Satellite imagery shows the	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में ही यह

presence of settlements, Road and Agriculture fields within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	उल्लेखित है कि 65.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भूमिगत खनन के लिये है जिसमें कोई सतही भागीदारी नहीं है। सेटेलाईट ईमेज में परिलक्षित सड़क एवं कृषि क्षेत्र का कारण संभवतः वन अधिकार अधिनियम के तहत् निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि के उक्त खण्ड पर भूमि की सतह के कुछ टुकड़े वैध धारकों के कब्जे में हो सकते है।
xiv. The CF, Jamshedpur in its site inspection report has reported that the area is part of Singhbhum Elephant Reserve and also Schedule-I species have been reported in the area. Therefore, the comments of CWLW, Jharkhand needs to be furnished. Further, comments may also be furnished on the adequacy of mitigation measures like Site Specific Wildlife Management Plan or Comprehensive Integrated Wildlife Management proposed for the area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सुरदा खनन पट्टा केन्दाडीह खनन पट्टा एवं राखा खनन पट्टा परियोजनाओं के लिये एकीकृत स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी संरक्षण योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या 14 दिनांक 24.01.2022 (छायाप्रति संलग्न अनु०–17) द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 646 दिनांक 23.05.2023 (छायाप्रति संलग्न अनु०– 18) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चुँकि वर्तमान वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव जो खनन लीज सुरदा 388.68 हे० के अन्तर्गत ही है, अतः इसके विरूद्ध अलग से वन्य प्राणी संरक्षण योजना का सूत्रण आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है।
xv. Cost benefit Ratio has been estimated as 1:9644.77 which is exorbitantly high. The analysis may be revisited by the user agency by applying appropriate economic tools to accurately estimate the various parameters and detailed analysis thereof may be submitted as per the format prescribed in the FCA, 1980 Handbook of guidelines dated 28.03.2019 keeping in view the revised rates of NPV dated 06.01.2022	इस पृच्छा के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1:314.18 के अनुपात में गणना कर संशोधित लागत–लाभ विश्लेषण समर्पित किया गया है। (अनु०– 19)
xvi. Details of mineral evacuation plan, transportation and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि खनिजों की निकासी एवं परिवहन हेतु विस्तृत योजना अपयोजन प्रस्ताव की कंडिका संख्या एम-7.1(ii) पूर्व में संलग्न कर दिया गया है। पुनः CD में संलग्न (अनु०–16) है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र – 3 के साथ प्राप्त अनुलग्नकों की 5(पाँच) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त निराकरण के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(signature) 5/1/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर

(initials) 05/01/24